संख्या– 863 /2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2021

विषयः– कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति की संख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र/आदेश संख्या–720/2021–सी0एक्स0–3 दिनांक 20.04.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके उप प्रस्तर–(5) में सभी शादी समारोहों में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के साथ अन्य सावधानियों/अनुपालन के साथ अनुमति प्रदान की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी–

(I) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

(II) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(III) आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ–सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।

(IV) उपरोक्त 2(I)(II)(III) की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

कृपया इस सीमा तक सन्दर्भित आदेश संख्या–720/2021–सी0एक्स0–3 दिनांक 20.04.2021 संशोधित समझा जाय। शेष व्यवस्था, शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/चिकित्सा स्वास्थ्य/पंचायती राज विभाग/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(6) पुलिस महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।